न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.),जबलपुर
म0प्र0

विशेष सत्र प्र0 कं0 234/2019
IA No. 439/4/2023
Filling Date- 06-07-2023

सुलतान बेन पिता सरवन बेन,
निवासी पटेल मोहल्ला,बादशाह
हलवाई मंदिर,ग्वारीघाट जबलपुर (म0प्र0)
—आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र ग्वारीघाट,
जिला जबलपुर (म.प्र.)
अनावेदक

पुनश्चः—10.07.2023

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कृष्णा प्रजापति उपस्थित।

अभियुक्त सुलतान बेन न्यायिक अभिरक्षा में द्वारा श्री मोहम्मद कासिम अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सुल्तान की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण में उक्त आवेदन पत्र पर अपना पक्ष रखने के लिये प्रार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी नरेन्द्र ने उपस्थित होकर उक्त आवेदन पत्र पर अपनी मौखिक आपत्ति व्यक्त की।

अभियुक्त सुलतान की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि इस प्रकरण में दिनांक 18—07—2022 को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और तभी से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। इस प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है। अभियुक्त जबलपुर शहर का स्थाई निवासी है और आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-4

कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की सम्भावना है। अतः उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जावे।

विशेष लोक अभियोजक की ओर से उक्त आवेदन पत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध 294,324,506भाग–2, 307 सहपठित 149 भा0दं0वि0 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5)(क) एवं 3(1)(द)(ध) का आरोप है। अभियुक्त सुलतान को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 9180/2019 में पारित आदेश दिनांक 30–11–2019 के परिप्रेक्ष्य में जमानत की सुविधा प्रदान की गई है।

अभियुक्त सुलतान दिनांक 30–10–2022 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण सहअभियुक्त कृष्णा यादव एवं छोटू उर्फ अनुराग की उपस्थिति हेतु मामला लम्बित रहा है। ऐसे में प्रकरण के निराकरण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। मुचलका जप्ती के सम्बंध में सुना जाकर आवेदक के पूर्व मुचलके में से 500/–रूपये की राशि राजसात की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

फलतः आवेदक/अभियुक्त सुलतान की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से राजसात मुचलके की राशि 500/–रूपये जमा किये जाने एवं 50,000/–रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र धारा 437(3)दं0प्र0सं0 की शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जावे तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 04–08–2023 को पेश हो।

GIREESH DIKSHIT

Digitally signed by GIREESH DIKSHIT
Date: 2023.07.10 18:37:32 +0530

(गिरीश दीक्षित)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी)
जबलपुर (म.प्र.)

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-4